

न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्या:- 179/15 (आरसीएमएस नं. 2015/00102)

1. श्रीमती चन्द्रकला देवी पुत्री स्व. श्री सागरमल पुरोहित पत्नी सत्यदेव अरडावतिया, जाति ब्राह्मण, निवासी वार्ड नम्बर 07, चिडावा जरिये विनोद कुमार अरडावतिया पुत्र सत्यदेव अरडावतिया, जाति ब्राह्मण, निवासी वार्ड नम्बर 7, चिडावा, जिला झुन्झुनू, राजस्थान

—अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जिला झुन्झुनू।
2. सांवरमल पुत्र सागरमल, जाति ब्राह्मण, निवासी पटेल नगर पोस्ट एम डी बाजार जिला विरभूम पश्चिम बंगाल जरिये मुख्यार संदीप मांजू पुत्र रामसिंह मांजू, जाति जाट, निवासी भूरासर का बास तहसील व जिला झुन्झुनू, राजस्थान।
3. महेन्द्र धनकड़ पुत्र हरलाल सिंह धनकड़, जाति जाट, निवासी बी 75 मान नगर, झुन्झुनू।
4. सत्येन्द्र सिंह पुत्र श्री नन्दलाल जाति जाट, निवासी झुन्झुनू।
5. युजवेन्द्र पुत्र रघुवीर सिंह, जाति जाट, निवासी भडोन्दा खुर्द तहसील व जिला झुन्झुनू, राजस्थान।
6. नवीन कुमार पुत्र सत्यनारायण मांजू, जाति जाट, निवासी झुन्झुनू, राजस्थान।

—रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांक: 04.04.2018

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय जिला कलक्टर, झुन्झुनू के आदेश दिनांक 02.06.2015 (प्रकरण संख्या 3/15) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि तहसील झुन्झुनू के भूमि खसरा नम्बर 2400 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 2401 रकबा 1.36 हैक्टर, खसरा नम्बर 2402 रकबा 1.56 हैक्टर, खसरा नम्बर 2412 रकबा 1.30 हैक्टर, खसरा नम्बर 2413 रकबा 1.36 हैक्टर, खसरा नम्बर 2414 रकबा 1.52 हैक्टर, खसरा नम्बर 2415 रकबा 1.32 हैक्टर कुल कित्ता 8 कुल रकबा 8.43 हैक्टर वाके ग्राम झुन्झुनू स्थित है, इस भूमि का खातेदार काश्तकार रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व अन्य का पूर्व स्व. सागरमल पुरोहित रहे है जिनके चार पुत्र श्योराम, छाजूरा, सांवरमल व श्यामलाल हुये तथा तीन पुत्रियाँ अपीलान्ट श्रीमती चन्द्रकला, श्रीमती सुगनी देवी व गिनी देवी हुई उक्त सागरमल का देहान्त हो जाने के बाद उसकी खातेदारी की उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार उसके उक्त वारिसान हुये व काबिज हुये है, परन्तु उक्त श्योराम, छाजूराम, सांवरमल व श्यामलाल ने इस सम्पूर्ण भूमि का नामान्तरकरण अपने अकेलों के नाम गलत दर्ज करवा लिया तथा अपीलान्ट व उसकी बहनों के नाम नामान्तरकरण में दर्ज नहीं

P.T.O.  
संभागीय आयुक्त  
जयपुर

(2)

करवाये गये तथा इस भूमि में उक्त छाजूराम व सांवरमल का हिस्सा नहीं रहा क्योंकि उक्त दोनों पश्चिम बंगाल में चले गये थे तथा परिवारिक समझौता के अनुसार उक्त दोनों भाई अपने हिस्से की भूमि शेष हिस्सेदारान के पक्ष में प्रतिफल लेकर समर्पित कर गये थे प्रत्येक ने दो हजार रुपये लेकर हिस्सा अन्य हिस्सेदारान के हक में छोड़ दिया गया था इस प्रकार मौजूदा समय में उक्त भूमि में चार हिस्सेदार रहे हैं, चूँकि इस भूमि का राजस्व रिकार्ड उक्त अनुसार गलत बना हुआ था जिसमें छाजूराम के वारिसान रेस्पोजेन्ट संख्या 2 व अन्य तथा उक्त सांवरमल का नाम व हिस्सा आदि भी गलत दर्ज था इसलिये अपीलान्ट ने अपने हक अधिकारों की रक्षार्थ एक दावा उनवानी श्रीमती चन्द्रकला बनाम रामावतार वगैराह दावा बाबत घोषणा बंटवारा दुरुस्ती रिकार्ड अदालत उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू किया जो विचाराधीन है, उक्त दावे के लम्बित रहने के दौरान रेस्पोजेन्ट संख्या 2 ने दिनांक 14.08.2014 को विक्रय पत्र रेस्पोजेन्ट संख्या 3, 4, 5, 6 के हक में तहरीर तकमिल करवाकर उप पंजीयक झुन्झुनू से पंजीकृत करवा दिया तथा उक्त नाजायज अवैध विक्रय पत्र की अनुपालना में दिनांक 24.09.14 को नामान्तरकरण जैर बहस रेस्पोजेन्ट संख्या 1 ने रेस्पोजेन्ट संख्या 3, 4, 5, व 6 के हक में तस्दीक कर दिया, जो विधि विरुद्ध है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि उक्त भूमि बाबत दावा उनवानी चन्द्रकला बनाम रामावतार वगैरा मु. नम्बर 47/04 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू में लम्बित है जिमसे स्थगन आदेश भी जारी है और कानून में यह सुस्थापित व्यवस्था है कि जब किसी खातेदार की भूमि के सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय में कोई दावा लम्बित है तो उस दावा की कार्यवाही के दौरान नामान्तरकरण की कार्यवाही नहीं की जा सकती है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय मातहत ने कानून की बिना परवाह किये सक्षम न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद दावा लम्बित रहते नामान्तरकरण तस्दीक करने में कानूनी भूल की है इसलिये नामान्तरकरण जैर बहस खारिज योग्य है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो निरस्तनीय है। उन्होने कथन किया है कि विवादित भूमि अपीलान्ट व अन्य की भूमि है तथा सभी खातेदार का बहैसियत खातेदार कब्जा है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी पर कब्जा काश्त की जांच किये बिना ही नामान्तरकरण गलत तस्दीक किया है, जो खारिज योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई गौर नहीं किया है कि रेस्पोजेन्ट संख्या 2, 3, 5, व 6 का इस जमीन पर किसी भी भाग पर कोई कब्जा नहीं है विवादित भूमि पर कब्जा काश्त के बाबत बिना जांच के नामान्तरकरण गलत तस्दीक किया है इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अपीलार्थी के विरुद्ध पारित आदेश दिनांक 02.06.2015 को निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोजेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं तथा उनकी ओर से ना ही किसी प्रकार की कोई लिखित बहस प्रस्तुत की गई।


संभोगीय आयुक्त  
जयपुर

P.T.O.


(3)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी बाबत दावा बाबत घोषणात्मक, बंटवारा, रिकार्ड दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू के समक्ष विचाराधीन होने के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.06.15 पारित किया गया है जबकि प्रकरण में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू द्वारा अपने आदेश दिनांक 18.09.04 से अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 07.05.2004 को वाद निर्णय तक बढ़ाया गया है तथा वादग्रस्त नामान्तरकरण संख्या 3041 विक्रय पत्र दिनांक 14.08.2014 के आधार पर दिनांक 24.09.2014 को स्वीकार किया गया है, जो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू द्वारा जारी स्थगन आदेश के दौरान स्वीकार किया गया प्रतीत होता है ऐसी स्थिति में उक्त नामान्तरकरण को उचित नहीं ठहराया जा सकता है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.06.2015 पारित किया गया है जो त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.06.2015 एवं नामान्तरकरण संख्या 3041 वाके ग्राम झुन्झुनू पर तहसीलदार झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.09.2014 को खारिज किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार झुन्झुनू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

  
(राजेश्वर सिंह)  
संभागीय आयुक्त  
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 04.04.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
संभागीय आयुक्त  
जयपुर